रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2003/कार्तिक 14, 1925
No. 176] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2003/KARTIKA 14, 1925

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2003

सं. 301—51/2003-इकॉन.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 1997 की धारा 11(1) की उपधारा (2) द्वारा स्वयं को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के भीतर और भारत के बाहर जिन टेरिफों पर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, उन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई), दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में संशोधन करके, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है :—

दूरसंचार टैरिफ (अट्ठाइसवां संशोधन) आदेश, 2003

(2003 का कमांक 5)

खंड I

शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**

(i) इस आदेश को "दूरसंचार टैरिफ (28वां संशोधन) आदेश, 2003" कहा जाएगा ।

(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

खंड II

दूरसंचार संवाओं के लिए टैरिफ

2. दूरसंचार टैरिफ (चौबीसवां संशोधन) आदेश 2003 के भाग II के अंतर्गत अनुसूची I में दिए गए टैरिफ मिटाकर उनके स्थान पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

खंड III

3. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस आदेश में अनुलग्नक क पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जो इस आदेश से जुडे मामलों पर स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करता है ।

अनुसूची-I

बुनियादी सेवाएं (आईएसडीएन को छोडकर)

दूरसंचार टैरिफ (चौबीसवां संशोधन) आदेश, 2003, में निम्नलिखित को छोडकर, दिए गए टैरिफ मिटा दिए जाएंगे ओर प्रविरिति या तटस्थता (Forbearance) में रहेंगे:

मद	टैरिफ
(5) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मासिक किराये	
(5 a) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी सहित फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा (फिक्स्ड)	लोकल एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता (लाइनों की संख्या) — वरिष्ठ नागरिक (रू0) — अन्य (रू0) 999 तक — 70 — 70 1000 से 29,999 तक — 120 — 120 30,000 से 99,999 तक — 180 — 200 1 लाख और अधिक — 250 — 280 टिप्पणीयां: 1. वरिष्ठ नागरिक परिभाषा वही होगी जो आयकर के भुगतान के प्रयोजनों के लिए अपनाई जाती है । 2. वे उपभोक्ता जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इस अनुसूची के लिए ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा वही होगी जो कि भारत की जनगणना में अपनाई गई है। 3. लोकल याने स्थानीय एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता का अर्थ है – किसी स्थानीय क्षेत्र के सारे एक्सचेंजों की क्षमताओं का जोड़ । इस आदेश के लागू होने की तारीख के बाद की किसी भी बढोतरी को, टैरिफों के उद्देश्य से स्वतः ही पुनर्वर्गीकरण के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

	4. कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (SDCA), उन 2647 स्थानीय क्षेत्रों में से प्रत्येक हैं जिनके विवरण बुनियादी सेवा लाइसेंसों में दिए गए हैं। इनका उल्लेख नंबरिंग योजना में भी है जहां प्रत्येक एसडीसीए के लिए अलग अद्वितीय एसटीडी कोड दिया हुआ है। लोकल काल चार्ज (प्रभार) इंट्रा – एस डी सी ए ट्रैफिक या परियात पर तथा "0 से 50 कि.मी." श्रेणी की दूरी के भीतर की गई कालों पर लागू होते हैं।
(8) <u>ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए प्रति मीटर्ड काल टैरिफ</u> (8 a) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी सहित फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा (फिक्सड)	बिलिंग साइकिल के पहले 300 मीटर्ड काल तक प्रतिमाह (निःशुल्क काल छोड़कर) रू0 ——— 0.80 बिलिंग साइकिल के पहले 300 मीटर्ड काल से अधिक मीटर्ड काल रू0 ——— 1.20
(9) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क काल (प्रभार रहित काल) (9 a) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी सहित फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा (फिक्सड)	बिलिंग साइकिल के प्रतिमाह 50 मीटर्ड काल यूनिट

आदेशानुसार,

डा. हर्ष वर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकार

[विज्ञापन III/IV/142/2003/असाधारण]

अनुलग्नक "क"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. दूरसंचार टैरिफ आदेश (TTO) 1999, दूरसंचार क्षेत्र में हो रहे विभिन्न विकासों और परिवर्तनों की झलक देता है, जैसे जनवरी 2003 से शुरू हो गई दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ में लगातार कमी, एक्सेस प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, और प्राधिकरण द्वारा अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (IUC) तथा एक्सेस डेफिसिट प्रभार (ADC) व्यवस्था की समीक्षा के परिणाम आदि।

2. 15 मई 2003 के परामर्श पत्र पर आधारित, अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम की अपनी समीक्षा के भाग के रूप में प्राधिकरण ने आगे भी परामर्श प्रक्रिया जारी रखी । आई यू सी व्यवस्था टैरिफों से अलग या उनसे स्वतंत्र नहीं है क्योंकि विभिन्न प्रकार की कालों से एडीसी की जो राशि प्राप्त की जानी होती है वह अन्य के साथ साथ, टैरिफों पर भी निर्भर करती है। आई यू सी समीक्षा के दौरान अन्य विषयों के साथ साथ एक्सेस डेफिसिट प्रभार से संबंधित अनेक मामलों पर भी हितधारियों याने स्टेकहोल्डरों के साथ चर्चा हुई। विभिन्न प्रकार की टिप्पणियों और विचार विमर्शो के साथ एनटीपी 1999 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने बेसिक और सेलुलर मोबाइल सेवाओं के लिए एक अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार व्यवस्था का निर्धारण किया है जो अलग से अधिसूचित एक विनियम में दिया गया है । इस विनियम से एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित हो गई है कि सेवा प्रदाता, प्रोत्साहन के प्रति संवेदी होकर, प्रतिस्पर्धा के कारण टैरिफों में हुई कमी को उपभोक्ताओं तक पंहुचा दें ।

3. बेसिक या बुनियादी सेवाओं के मामले में टी टी ओ 1999 में मानक टैरिफ पैकेज की उपलब्धता विनिर्दिष्ट है जिसमें - अन्य के साथ साथ - बाजार में सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत अन्य टैरिफ योजनाओं सहित किराया, कॉल प्रभार, मुफ्त कॉलों की संख्या, आदि आदि शामिल हैं । बुनियादी सेवाओं के लिए अब सघन प्रतिस्पर्धा होने लगी है । इसमें अन्य बुनियादी सेवा प्रदाता और सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता दोनों ही जुटे हैं । इससे, खास तौर पर लंबी दूरी की कॉलों के लिए प्रभारों में बहुत अधिक कमी आ चुकी है। उपलब्ध सूचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग सारे ही उपभोक्ता वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों का फायदा उठा रहे हैं, और असल में तो मानक टैरिफ पैकेज निरर्थक और व्यर्थ सा हो चुका है। इसलिए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि शहरी बुनियादी सेवा के उपभोक्ताओं के लिए मानक

टैरिफ पैकेज को निर्दिष्ट करना अब आवश्यक नहीं है । इस सीमा तक टी टी ओ 1999 की अनुसूची- I जिसमें (ISDN को छोडकर) बुनियादी सेवाओं के विनिर्दिष्ट टैरिफ संशोधित हो जाएंगे । ग्रामीण फिक्स्ड लाइन के उपभोक्ताओं के लिए, जिनको सामाजिक कारणों से एक्सेस टैरिफ और कॉल प्रभार सामान्य से कम पडते हैं, प्राधिकरण ने मानक टैरिफ पैकेज बनाए रखा है । इसलिए एनटीपो 1999 के उद्देश्यों में निहित समग्र हितों और व्यय की सहनीयता या अर्थ-क्षमता को नजर में रखते हुए, ग्रामीण उपभोक्ताओं के निमित्त लागू बुनियादी सेवाओं के टैरिफ को विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता को प्राधिकरण ने महसूस किया है और इसे इस संशोधन की अनुसूची - I में दे दिया गया है । तथापि, समग्र रूप से प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता को देखते हुए, तथा एडीसी व्यवस्था के विनिर्दिष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने टीटीओ 1999 की अनुसूची I में दिए गए अन्य टैरिफों के मामले में प्रविरिति या तटस्थता रखने का निर्णय किया है ।

4. टीटीओ के इस संशोधन में दी गई टैरिफ संबंधी तटस्थता या प्रविरिति (forbearacne) इस शर्त के अधीन है कि किसी भी विनियामक आधार पर, और समीचीन समझे जाने पर, प्राधिकरण टैरिफों में हस्तक्षेप कर सकता है । समस्त विनियामक सिद्धांतों का सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन आवश्यक है। सेवा प्रदाताओं के विभिन्न कार्य-कलापों पर, जिनसे बाजार में प्रतिस्पर्धा पर तथा उपभोक्ताओं के हितों पर विपरीत प्रभाव पड सकता है, उन पर प्राधिकरण कड़ी निगरानी रखेगा, और आवश्यक होने पर उसमें हस्तक्षेप करेगा।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2003

No. 301—51/2003-Econ.—In exercise of the powers conferred upon it under Sub-section (2) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby makes the following order by an amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999 by notification in the Official Gazette, in respect of tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided :—

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (TWENTY EIGHTH AMENDMENT) ORDER 2003
(5 of 2003)

SCHEDULE-I

Title, Extent and Commencement

1. **Short title, extent and commencement:**

(i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff (Twenty Eighth Amendment) Order 2003".

(ii) The Order shall come into force on the date of its notification in the Official Gazette.

Section II

Tariffs for Telecommunication Services

2. Tariffs

Tariffs as contained in Schedule I under Section II of the Telecommunication Tariff (24th Amendment) Order, 2003 shall stand deleted and substituted as specified in the Schedule hereto.

Section III

3. Explanatory Memorandum

This order contains at Annexe A, an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to the tariffs specified in this Order.

Schedule I

Basic Services (Other than ISDN)

Tariffs as contained in Schedules I of the Telecommunication Tariff (24th Amendment) Order, 2003 shall stand deleted and kept under "***FORBEARANCE***" except for the following items:

Item	Tariff		
(5) Monthly Rentals For Rural Subscribers (5.a) Fixed line telephony service including wireless in local loop technology (Fixed)	Capacity of local Exchange System (Number of Lines)	Senior Citizen (Rs)	Others (Rs.)
	Up to 999	70	70
	1,000 to 29,999	120	120
	30,000 to 99,999	180	200
	1 lakh and above	250	280

	Notes: (1) The definition of Senior Citizen shall be the same as for the purpose of payment of Income Tax. (2) Rural subscribers are those who reside in rural areas. For the purpose of this schedule, the definition of rural area shall be same as used in conducting the Census of India. (3) Capacity of the Local Exchange system is the sum of the capacities of all exchanges in a local area. Any augmentation of the local exchange capacity after the date of implementation of this Order shall automatically be taken into account for re-classification for purposes of tariffs. (4) Short Distance Charging Area (SDCA) is one of the 2647 Local Areas whose details are provided in the Basic Service Licenses and also in the Numbering Plan wherein for each SDCA, a unique STD code is provided. Local call charges are applicable on Intra-SDCA traffic and for calls within the distance category "0 to 50 kms.".	
(8) Tariff per metered call for rural subscribers **(8.a) Fixed line telephony service including wireless in local loop technology (Fixed)**	**First 300 Metered calls per Month of the billing cycle (except for free calls) cycle** **(Rs.)** 0.80	**Metered calls in excess of the first 300 metered calls per month of the billing** **(Rs.)** 1.20
(9) Free calls (or uncharged calls) for rural subscribers **(9.a) Fixed line telephony service including wireless in local loop technology (Fixed)**	50 metered call units per month of a billing cycle	

By Order

Dr. HARSHA VARDHANA SINGH, Secy.-cum-Principal Advisor

[ADVT. III/IV/142/2003/Exty.]

ANNEXURE "A"

Explanatory Memorandum

1. The twenty eighth Amendment to the Telecommunication Tariff Order (TTO), 1999, reflects various developments in the telecom sector including decline in tariff for telecom services witnessed since January, 2003, the increase in competition among access providers, and the results of the review of the Interconnect Usage Charge (IUC) and the Access Deficit Charge (ADC) regime by the Authority.

2. The Authority carried out a consultation process as part of its review of inter Connection Usage Charges (IUC) Regulation based on its Consultation Paper of 15th May, 2003. The IUC regime is not independent of tariffs, because the amount of ADC to be covered from various calls depends inter-alia on tariffs. During the course of the IUC review, a number of issues relating to Access Deficit Charge among other things were deliberated with stakeholders. Taking into account the various comments and the objectives of NTP, 1999, the Authority has determined an Interconnection Usage Charge (IUC) regime for basic and cellular mobile services which is given in a Regulation notified separately. This Regulation has introduced mechanisms to ensure that it would incentivize the service providers to pass on the decline in tariffs on account of competition to the consumers.

3. In the case of basic services, TTO, 1999 had specified availability of Standard Tariff Package which inter-alia comprises rental, call charges, free calls, etc. along with all other tariff plans on offer by the service providers in the market. There has been intense competition for basic services, both from other basic service providers as well as from cellular mobile service providers, which has resulted in drastic fall, especially for long distance calls. The

available information shows that virtually all subscribers are on alternative tariff packages, and in effect the standard tariff package has become redundant. Thus, the Authority has decided that specification of Standard Tariff Package for urban basic service subscribers is no longer necessary. To this extent, Schedule I of TTO, 1999 specifying tariff for basic services (other than ISDN) would stand modified. The Authority is retaining the Standard Tariff Package for rural fixed line subscribers, for whom access tariffs and call charges are lower than in general, for social reasons. Therefore, keeping in view the community of interest and affordability objectives of NTP, 1999 the Authority felt the need to specify the tariff of basic services applicable for rural subscribers as per Schedule I of this Amendment; but in view of the overall competition and a specification of the ADC regime, has decided to forbear with respect to the other tariffs in Schedule I of TTO, 1999.

4. The tariff forbearance as provided in this Amendment to TTO would be subject to the Authority intervening in tariffs which it deems inappropriate for any regulatory reason. The stated regulatory principles have to be complied with by the service providers. The Authority would monitor closely the various practices of service providers that may have an adverse impact on competition in the market and the interest of the consumers, and if require may intervene as necessary.

3260GI/03-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.